संख्या 39 /2018/276/ सात-न्याय -9(बजट)-2018-800(51)/2012

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट लख्नऊ दिनांक 22 मार्च,2018

विषय- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा उपकरणों की स्थापना के लिए अतिरिक्त् धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-11/2016/142/सात-न्याय-9(बजट)-2016-800(51)/2012 दिनांक 20-01-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा उपकरणों की स्थापना के लिए रू0 2851.61 लाख के आगणन पर प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है । पुन: शासनादेश सं0-135/2017/1797/सात-न्याय -9(बजट)-2017-800(51)/2012_दिनांक 20-11-2017 के माध्यम से रू0300.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है ।

2- तत्क्रम में निबन्धक (प्रोटोकाल) मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं0-4378/निबन्धक (प्रोटोकाल) दिनांक 15-03-2018 के क्रम में अनुमोदित लागत रू02851.61 लाख के सापेक्ष रू0200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किय जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1 चूंकि उक्त निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, कार्यदायी संस्था नामित है । अत: उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके उ0प्र0 राजकीय निर्माण निमग लि0, के सम्बन्धित अधिकारी , को उपलब्ध कराने हेतु महानिबन्धक उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अधिकृत किया जाता है।

2 स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

3 शासनादेश सं0-11/2016/142/सात-न्याय -9(बजट)-2016-800(51)/2012,दिनांक 20-01-2016 की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे ।

4 लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

5 स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, तथा समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6 प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय् व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस – 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी ,2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष् 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- 01-कार्यालय भवन-051-निर्माण - 04-मा0 उच्च न्यायालय में निर्माण-00- 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र (मतदेय), के नामे डाला जायेगा

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारो के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)
प्रमुख सचिव

सं0- 39 /2018/276(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनउ बेंच लखनऊ ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, इन्दिरा भवन सिविल लाइन इलाहाबाद ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
7- अपर परियोजना प्रबन्धक (वि0) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विद्युत इकाई-वाराणसी
8- वित्त ई- 12/ आय-व्ययक अनुभाग- 1 ।
9- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(सन्त लाल)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।